1. दबीर अहमद तनय शेख बदलू मुसलमान,

2. ध्रुव कुमार तनय रामलखन गौतम,

3. कैलाश कुमार तनय रामलखन गौतम,

समस्त निवासीगण ग्राम पुरवारी तहसील नौगाँव

जिला छतरपुर, म.प्र.

...निगरानीकर्ता

॥ बनाम ॥

म० प्र० शासन

(5)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 2473–तीन/14

जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–11–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गये तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण जंगल के रूप में अंकित भूमि के पट्टे दिए जाने के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि जंगल के रूप में वर्णित भूमि पर शासन की अनुमति के बिना किसी को भी भूमिस्वामी स्वत्व में भूमि देने का अधिकार नहीं है और इस संबंध में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोदा बर्धन बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि वन भूमियों के निपटारे के संबंध में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, 1927 के प्रावधान लागू होते हैं ना कि भू–राजस्व संहिता के प्रावधान । दर्शित परिस्थितियों को देखने के उपरांत व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने के कारण प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । 2– आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रशा0 सदस्य	